

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम-2013
माता-पिता / अभिभावक द्वारा दी गयी प्रतिबद्धता

1. मैं माता/पिता/अभिभावक.....(नीटयू०जी०-20
अनुक्रमांक मेरिट) जिसके पुत्र

(संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण सम्बन्धी यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

2. मैंने विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाता/जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ाया देने के षडयंत्र का एक हिस्सा होता/होती है तो इस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्यवाई का यह भागीदार होगा/होगी वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग माना गया है।
(ख) मेरी संतान जानबूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करगी जिसे इन विनियम की धारा 3 के अन्तर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती /पाया जाता है तो यह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड सम्बन्धी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/ करती हूँ कि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने की अथवा षडयंत्र का एक हिस्से के रूप में दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/ हुआ है तथा यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है , तो मेरी संतान को दिया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं. / मो.नं.

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयतार्थ कही गयी है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम: